



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17012022-232671
CG-DL-W-17012022-232671

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 49] नई दिल्ली, दिसम्बर 26, 2021— जनवरी 1, 2022, शनिवार/ पौष 5— पौष 11, 1943
No. 49] NEW DELHI, DECEMBER 26, 2021—JANUARY 1, 2022, SATURDAY/PAUSHA 5— PAUSHA 11, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 916.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री पंकज जोशी (जन्म तिथि: 7.7.1968) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)**

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 916.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Pankaj Joshi (DoB: 7.7.1968) as part-time non-official director on the Board of Directors of Punjab National Bank, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 917.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री अजय सिंघल (जन्म तिथि: 14.12.1974) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 917.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Ajay Singhal (DoB: 14.12.1974) as part-time non-official director on the Board of Directors of Bank of Baroda, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 918.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री सरदार बलजीत सिंह (जन्म तिथि: 5.9.1980) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, निदेशक